

1/12/11

- 3/ उक्त भूमि के किसी छण्ड/भाग को किराये पर किसी अन्य को नहीं दिया जावेगा ।
- 4/ आवेदित प्रयोजन से भिन्न उपयोग में लाये जाने पर उक्त सम्पूर्ण भूमि राजस्व विभाग को स्वयं वापस हो जायगी तथा बंटन आदेश निरस्त माना जावेगा ।

अतिरिक्त कलेक्टर,

कोरबा

कोरबा, दिनांक 6-1-12/11 जनवरी 199

पृ० क्रमांक क/अति०कले०/१४/

पुत्रिलिपि :-

1/ संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय भोपाल

2/ आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर

3/ कलेक्टर, बिलासपुर

को सूचनार्थ प्रेषित ।

4/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी साडा कोरबा

5/ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा

6/ तहसीलदार कोरबा

7/ उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कोरबा

8/ प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय कोरबा

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित ।

अतिरिक्त कलेक्टर,

कोरबा

